हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	नरसिंगराम

1/5/2019 वकुलाय उपस्थित ।

वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । न्यायहित मे अन्तिम अवसर दिया जाता है पूर्व आदेश 5/12/2017 का प्रभाव आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 11/6/2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

11/6/19

वकुलाय उप०।

अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/6/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

18/6/2019 वकुलाय उपस्थित।

पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 25/7/2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

25/7/2019 वकुलाय उपस्थित ।

वकील प्रार्थीगण की बहस पुनरावलोकन प्रा. पत्र धारा 86 राज. भू. राजस्व अधिनियम सपठित

Cont—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

आदेश 9 नियम 7 आदेश 47 नियम 1 व 4 एवं
सपठित आदेश धारा 151 CPC सुनी गई। वकील
प्रार्थीया ने अपनी बहस मे कथन कि प्रार्थीगण
के पिता/पति छोगाराम अत्यधिक बीमार होने
के कारण चलने फिरने की स्थिति मे नही थे
जिसके कारण राजस्व लोक अदालत कैम्प मे उपस्थित
नही सके। तथा उनका स्वर्गवास दिनांक 9/10/2015
को हो चुका है। तथा प्रार्थीगण को उक्त पत्रावली की
जानकारी दिनांक 4/4/2017 को प्राप्त हुई। उक्त वाद
राजस्व लोक अदालत शीविर मे बहस मे नियत थी
लेकिन प्रार्थी उपस्थित नही होने पर शीविर मे अदम
पैरवी एवं अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया।
अतः उक्त आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है
तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वाद को प्रार्थीया
को सुनवाई का अवसर प्रदान करवाया जावे।
वकील अप्रार्थीगण ने बहस मे बताया कि राजस्व लोक
अदालत शीविर मे प्रार्थी छोगाराम जानबुझकर गैर हाजिर
रहे अतः प्रार्थीया का प्रा. पत्र मेन्टेनेबल नही होने
से खारीज फरमाया जावे।
उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। बाद अवलोकन यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी
छोगाराम वृद्ध एवं बीमार होने से राजस्व कैम्प शीविर
कोट सोलंकीयान मे उपस्थित नही हो सके थे। अतः प्राकृतिक
एवं नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी बीमार होने के
कारण कैम्प के उपस्थित नही होना जाहिर होता है तथा
उनकी अनुपस्थिति मे अदम हाजरी, अदम पैरवी मे खारीज
किया जाना जाहिर होता है अतः प्रार्थना पत्र O-9 R-7
CPC सपठित धारा 151, ~~[illegible]~~ O-47 R-1 व 4 सपठित धारा
151 स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा कैम्प
मे किया गया पारित आदेश दिनांक 14/7/2015 ~~को~~ तथा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
व दिनांक 14/12/2017 को पारित आदेश (स्थगन आदेश) को निरस्त किया जाता है। पत्रावली राजस्व विविध संख्या 7/2011 को पुन नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। वाद को पुन दर्ज Register किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फैसला आज दिनांक 25/7/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले-इजलास मे सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)